

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
 प्रकरण क्रमांक 896 / 2016  
 संस्थापित दिनांक 26 / 12 / 2016  
 फाइलिंग नं. 301978 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. कालीचरन पुत्र आदिराम कुशवाह  
 उम्र 30 वर्ष ग्राम बखौरा तहसील  
 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
2. आदिराम पुत्र रामरत्न कुशवाह  
 उम्र 55 वर्ष ग्राम बखौरा तहसील  
 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 324 भा.दं.सं)  
 (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)  
 (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री राकेशचंद्र गुप्ता एड.)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 27 / 02 / 17 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 30 / 11 / 16 को 14 बजे ग्राम बखौरा गोहद में फरियादी रामप्रकाश कुशवाह की आक्रामक आयुध लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 324 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी रामप्रकाश एवं उसके भाई आरोपी आदिराम का एक ही मकान है जिस पर दोनों ने घरू बंटवारा कर लिया था। दिनांक 30 / 11 / 16 को दिन के दो बजे फरियादी रामप्रकाश ने आरोपी आदिराम से निकलने के लिए अलग दरवाजा करने के लिए कहा था इसी बात पर आरोपी आदिराम एवं कालीचरन उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे थे। उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो कालीचरन ने उसके सिर में लाठी मारी थी तथा आदिराम ने उसके दाहिने हाथ की कलाई एवं छाती में लाठी मारी थी। मौके पर उसके लड़के शिवसिंह पत्नी रामसखी ने बीच बचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र. 354 / 16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया

गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी रामप्रकाश द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा.दं.सं. की धारा 294, 323 एवं 506 भाग 2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा.दं.सं. की धारा 324 के अंतर्गत विचारण शेष है।

4. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। आरोपीगण को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित आरोप से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक प्रथक से अंकित किया गया।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 30/11/16 को 14 बजे ग्राम बखौरा गोहद में फरियादी रामप्रकाश कुशवाह की आक्रामक आयुध लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी रामप्रकाश अ.सा. 1 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रामप्रकाश अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग पांच-छः महीने पहले दिन के दो-तीन बजे की है वह अपने घर का दरवाजा बना रहा था इसी बात पर उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गालीगलोच कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुयी थी। उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि कालीचरन ने उसके सिर में लाठी मारी थी तथा आदिराम ने उसके दाहिने हाथ की कलाई में लाठी मारी थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में पुलिस को लिखाई थी।

8. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रामप्रकाश अ.सा. 1 ने अपने कथन में आरोपीगण से मात्र मुंहवाद होना एवं आरोपीगण द्वारा गालीगलोच करना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने झगड़े के दौरान उसकी मारपीट की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि कालीचरन ने उसके सिर में लाठी मारी थी। इस प्रकार फरियादी रामप्रकाश अ.सा. 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट

करने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना के समय आरोपीगण ने फरियादी रामप्रकाश की आक्रामक आयुध लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति करित की थी ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

9. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 30/11/16 को 14 बजे ग्राम बखौरा गोहद में फरियादी रामप्रकाश कुशवाह की आक्रामक आयुध लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी कालीचरन एवं आदिराम को भा.दं.सं. की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

11. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा लाठियां मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़-तोड़ कर नष्ट की जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 27 / 02 / 2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित  
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित  
किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)